

के कुछ वर्गों में छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की व्यवस्था है और उनको उन वर्गों के लिए वेतन दिया जाता है।

(ख) क्या यह भी सच है कि टिकट क्लब्टर के लिए भी छुट्टी रिजर्व क्लर्क का उपबन्ध है परन्तु जब छुट्टी रिजर्व चल टिकट परीक्षक भर्ती किया जाता है तो उनको केवल टिकट क्लब्टर का वेतन ही दिया जाता है यद्यपि उनको चल टिकट परीक्षक कार्य करना होता है।

(ग) यदि हां, तो इस अन्याय के क्या कारण हैं।

(घ) क्या टिकट क्लब्टरों की इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है : और

(ङ) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुमंग सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) चल टिकट परीक्षकों और टिकट क्लब्टरों की कोटियों के लिए छुट्टी रिजर्व के रूप में काम करने के लिए 110-180 रुपये के ग्रेड में टिकट क्लब्टरों की व्यवस्था की जाती है। जब कोई टिकट क्लब्टर 30 दिन से अधिक की अवधि की छुट्टीरिक्ति में और 21 दिन से अधिक की अवधि की रिक्तियों के आवश्यक मामलों में चल टिकट परीक्षक के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसे उस पद का वेतन दिया जाता है जिस पर उसे नियुक्त किया जाता है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) ऐसा कोई अभ्यवेदन नोटिस में नहीं आया है।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

Arrest of Workers at Bokaro Steel City

262. SHRI M.H. GOWDA :
SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI BAIDHAR BEHERA :

Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than 100 workers belonging to a Union have been arrested at the Bokaro Steel City;

(b) if so, the reasons of their arrest; and

(c) the steps taken to meet the demands of the workers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT) :

(a) Yes, Sir.

(b) This was due to unlawful activities of the workers during the strike organised by Bokaro Ispat Kamgarh Union, which is not a recognised Union.

(c) The demands of the workers have been referred to the arbitration of labour Commissioner of Government of Bihar, who has asked the parties to file written statements on the matters of disputes.

Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

263. SHRI BHAGABAN DAS :
SHRI C.K. CHAKRAPANI :
SHRI A.K. GOPALAN :
SHRIMATI SUSEELA GOPALAN :

Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has submitted his Annual Report to the President;

(b) if so, the main recommendations made by him;

(c) the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE